भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5680

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

5680. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के गरीबी रेखा से नीचे के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल कार्ड-धारकों) को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 8.03 करोड़ परिवार और शहरी क्षेत्रों में 2.33 करोड़ परिवार एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से प्रभावित देश के ऐसे सभी गरीब परिवारों की बीमारियों के इलाज के लिए होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा एकमुश्त भुगतान करने तथा शेष 50 प्रतिशत भुगतान को सीधे केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान से राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसमें मध्यम और विशिष्ट स्तरीय परिचर्या वाले अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थी परिवारों की पहचान शुरू में वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 वंचितों और 11 व्यावसायिक मानदंडों के

आधार पर की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को 12 करोड़ परिवारों तक संशोधित किया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों के संबंध में लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस (समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल वाले) का उपयोग करने के लिए स्वायत्तता प्रदान की, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके इस योजना के तहत लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में, 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल करने के लिए इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 29.10.2024 को, सरकार ने 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निः शुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया ।

(ग) से (ङ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं निःशुल्क हैं और यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वर्तमान निर्देशों के अनुसार लागतों में सांझेदारी की जाती है।

*****